उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-वी0एम0-232/62-2-2014-2/4(28)/2014टीसी
लखनऊ: दिनांक: 28 नवम्बर,2014

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-3390/62-2-2014-2/4(28)/2014टीसी0, दिनांक 31-10-2014 द्वारा श्री रामधनी यादव, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, जौनपुर को लघु सिंचाई (मुख्यालय), लखनऊ से सम्बद्ध करते हुए श्री कुमार विमलेन्दु, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, रायबरेली को अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, जौनपुर का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। श्री कुमार विमलेन्दु द्वारा अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, जौनपुर का कार्यभार न ग्रहण किये जाने के कारण सम्यक विचारोपरांत उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31-10-2014 को निरस्त करते हुए श्री रामधनी यादव, अधिशासी अभियंता को लघु सिंचाई खण्ड, जौनपुर में यथावत बनाये रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

ह0/
डा0 सूर्य प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव।

सं0- वी0एम0-232 (1)/62-2-2014]तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी।
4- संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त/अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड।
5- संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियंता।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in